

27/1/2025

पुस्तकालय परिसर / बाथरूम बनाने के लिए
पुस्तकालय परिसर की बंधन पुनी गई। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिक्त
के आधार पर गड वकी डिप्टी किया जाता है।
यहाँ विषय सहित निर्णय दस्तावेज से लिखाया
जाकर शामिल करके किया जावे। पत्रावली
नम्बर से कम ही जाकर शामिल कराए
गे।

००

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 561/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

रामप्रताप पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-वादी

बनाम

1. विरमकौर पत्नी रामकुमार जाति जाट साकिन खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. रामप्यारी पत्नी हरीराम जाति जाट साकिन भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. शांतीदेवी पत्नी बलराम जाति जाट साकिन खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
4. सन्तरोदेवी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगगानगर
5. सुनील कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादी
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक- 27-01-2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी रामप्रताप को चक 2 एन.जी.एम. के प० न० 72/9 (83) के किला न० 25/2 की 0.087 है० पूर्वी पासा प० न० 72/17(84) के किला न० 19 की 0.253 है० 20 की 0.253 है० 21/2 की 0.228 है० 22/2 की 0.228 है० प० न० 72/18 (97) के किला न० 1/1 की 0.1140 है० कुल 1.163 है० भूमि का खातेदार काश्तकार
2. प्रतिवादी स० 1 ता 5 को चक 2 एन.जी.एम. के प० न० 72/9 (83) के किला न 11 ता 20 की 2.530 है० 21/1 की 0.089 है० 22 की 0.152 है० 23/1 की 0.228 है० 24/2 की 0.228 है० 25/2 की 0.141 है० पश्चिमी पासा = 3.368 है० प० न० 72/10 (98) के किला न० 1/1, 2/1, 5/1, 6 ता 19 की 3.0110 है० प० न० 72/17 (84) के किला न० 11, 12, की 0.506 है० प० न० 72/18 (97) के किला न० 10/1 की 0.088 है० 11 की 0.2530 = 0.341 है० कुल 7.226 है० भूमि जिसमे प्रतिवादी स० 1 विरमकौर को 0.109 है., प्रतिवादी सं. 2 रामप्यारी को 5.038 है., प्रतिवादी सं. 3 शांतीदेवी को 1.089 है., प्रतिवादी सं. 4 सन्तरोदेवी को 0.010 है., प्रतिवादी सं. 5 सुनील कुमार को 0.980 है. भूमि के मुश्तर्का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिफेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27-01-2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर